



निविदा फार्म— उपार्जन अनुभाग (तकनीकी बिड)—01

फार्म संख्या—

निविदा प्रपत्र मूल्य— 1000.00 रु०(एक हजार रुपये) (समस्त कर सहित)



ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

1— मार्ग का नाम — :

2— निविदादाता का नाम — :

3— पिता/पति का नाम — :

4— स्थाई पता (अनिवार्य)— :

फोटो ग्राफ

5— पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य)—

6— दूरभाष संख्या (अनिवार्य).....

7— पैन कार्ड संख्या (निविदा शर्त संख्या 04 के अनुरूप) (संलग्न)

8— आधार कार्ड संख्या (संलग्न).....

9— जमा अर्नेस्ट मनी विवरण — बैंक का नाम

डाफ्ट संख्या धनराशि दिनांक

नगद जमा धनराशि रसीद संख्या दिनांक

10— वाहन से सम्बन्धित निम्न सूचनायें अंकित करें (निविदा शर्त संख्या 08 के अनुरूप)

क— वाहन का प्रकार माडल वर्ष..... भार क्षमता

ख— पंजीकरण संख्या पंजीकरण तिथि.....

ग— वाहन स्वामी का नाम बीमा की वैधता (संलग्न).....

घ— वाहन परमिट की वैधता तिथि (संलग्न)..... फिटनेस(संलग्न).....

11— निविदादाता द्वारा निम्न प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें (अनिवार्य)

क—वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर.....

ख— निविदा का स्थायी पता (आधार नम्बर/मतदाता पहचान पत्र) (संलग्न).....

ग—निविदा मूल्य की जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति.....

घ—धरोहर/अर्नेस्ट मनी जमा करने सम्बन्धी संस्था की रसीद की मूलप्रति/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति.....

निविदा शर्तें संलग्न

दिनांक.....

ह० निविदादाता

पूरा नाम

पता:—

पृष्ठ संख्या क्रमशः 1, 2, 3, 4



निविदा फार्म- उपार्जन अनुभाग (वित्तीय बिड)-02

फार्म संख्या-



ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांकों की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

- 1- मार्ग का नाम - :
- 2- निविदादाता का नाम - :
- 3- पिता/पति का नाम - :
- 4- स्थाई पता (अनिवार्य)- :
- 5- वाहन के किराये की दरें -:
 - 1- रूपया प्रति दिन (दिहाडी) अंकों मेंरूपये
शब्दों मेंरूपये

(डीजल औसत, मोबिल आयल औसत, लोडर चार्ज आदि संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही देय होंगे, जो संलग्न निविदा भातों में अंकित हैं) ।

घोषणा

निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश एवं शर्तों को मैंने अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 खटीमा में अपना वाहन लगा कर कार्य करने के लिये सहमत हूँ ।

उक्त प्रतिष्ठियाँ मैंने स्वयं भरी है/भरवाई है और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनाये गलत पायी जाये, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त के सम्बन्ध में हुये निविदा /अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दें। अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गयी धनराशि रू0 की रसीद संख्या/ड्राफ्ट संख्या दिनांक..... इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

नोट- वाहन के प्रपत्रों के साथ किसी प्रकार की छेडछाड, गलत सूचना सिद्ध होने पर संस्था द्वारा निविदा को निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए 03 वर्षों हेतु संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

दिनांक.....

ह0 निविदादाता

पूरा नाम

पता:-

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० खटीमा
उपार्जन संबंधी वाहन निविदा हेतु सूची

क्र०सं०	मार्ग का नाम	दुग्धशाला / अवशीतन केन्द्र का नाम	वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी प्रतिदिन (किमी०)	अधिकतम प्रस्तावित किराया / प्रतिदिन	चाही गयी वाहन की न्यूनतम भार क्षमता
1	एचताविहि	खटीमा	छोटा हाथी / समकक्ष	80	570	700
2	मेलाघाट	खटीमा	पिकअप / समकक्ष	80	770	1000
3	मझोला द्वितीय	खटीमा	पिकअप / समकक्ष	105	770	1000
4	आकस्मिक पशु चिकित्सा बाजपुर	पूर्ण जनपद	कार वैन / समकक्ष	100	600	-
5	पीएण्डआई	पूर्ण जनपद	कार, बोलेरो / समकक्ष	100	600	-
6	सितारगंज द्वितीय	खटीमा	पिकअप / समकक्ष	180	770	1000
7	नानकमत्ता	खटीमा	छोटा हाथी / समकक्ष	60	620	700
8	पशुआहार निर्माणशाला रुद्रपुर से दु०अ०के० बाजपुर तक पशुआहार ढुलान कार्य हेतु वाहन			80	-	-
9	पशुआहार निर्माणशाला रुद्रपुर से मुख्य दुग्धशाला खटीमा तक पशुआहार ढुलान कार्य हेतु वाहन			150	-	-

नोट—समान दरें आने पर नये वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।

**संस्था द्वारा डीजल, मोबिल आयल एवं लोडर चार्ज निम्नानुसार देय होगा
व्यय का विवरण वर्ष 2024-25**

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	डीजल प्रति लीटर	मोबिल ऑयल प्रति लीटर	लोडर चार्ज
1	टाटा 407 पिकअप/समकक्ष	09 किमी० पर 01 लीटर डीजल	320 किमी/लीटर	40.00 रू० प्रति पाली
2	पिकअप/समकक्ष	10 किमी० पर 01 लीटर डीजल	320 किमी/लीटर	40.00 रू० प्रति पाली
3	टाटा ए०एस०/छोटा हाथी	13 किमी पर 01 लीटर डीजल	320 किमी/लीटर	40.00 रू० प्रति पाली
4	कार, बोलेरो/समकक्ष	13 किमी पर 01 लीटर पेट्रोल/डीजल	320 किमी/लीटर	—

नोट— मोबिल ऑयल का भुगतान रू० 220.00 प्रति लीटर की दर से देय होगा। डीजल का भुगतान साधारण डीजल की दर से प्रचलित दरों के अनुसार देय होगा।

निविदा की शर्तें एवं आवश्यक निर्देश

- 01—: एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
- 02—: निविदायें, प्रधान प्रबन्धक, उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० कंजाबाग रोड खटीमा उधमसिंहनगर के नाम से निविदा पेट्टी में दिनांक—27.09.2024 को निविदायें अपराहन 01:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी जो कि उपरोक्तानुसार अपराहन 01:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में खोली जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्धित समस्त मार्गों की निविदायें दिनांक—27.09.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक दुग्ध संघ मुख्यालय खटीमा के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 03—: लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **उर्पाजन कार्य हेतु निविदा एवं मार्ग** का नाम तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। निविदा की शर्तें एवं आवश्यक निर्देश के अन्त में स्थायी पता अंकन करना अनिवार्य होगा।
- 04—: निविदा फार्म में निविदादाता को स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लगाना होगा तथा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (डी०एल०/आधार कार्ड आदि) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।
- 05—: वाहन का मॉडल 2012 से कम नहीं होना चाहिये। तथा वाहन में बैक कैमरा और जी०पी०एस० लगाना अनिवार्य होगा। जिसका रखरखाव/रीचार्ज स्वयं वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा। तथा संस्था द्वारा वाहन में एक मिल्क एनालाइजर लगाया जायेगा जिसको लगाये जाने की व्यवस्था एवं संचालन स्वयं वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा तथा मिल्क एनालाइजर की टैस्टिंग का रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ उक्त के संचालन के संबन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 06—: निविदा में पावर आफ एटोनी एवं वाहन से संबंधित कम्पनियों का कोटेशन मान्य नहीं होगी।
- 07—: निविदादाता को दुग्ध संघ उधमसिंहनगर में किसी भी अनुभाग का बकायेदार नहीं होना चाहिए। किसी भी अनुभाग का बकायेदार होने अथवा संस्था या संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी होने पर निविदा अमान्य होगी। उपरोक्त के संबन्ध में निविदा से संबंधित अनुभाग प्रभारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
- 08—: समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल के वाहन को वरीयता दी जायेगी।
- 09—: निविदा फार्म के साथ वाहन की आर०सी०, परमिट एवं समस्त सही (वैध) प्रपत्र साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के भीतर समस्त वैध प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति निविदा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तदुपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- 10—: वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/विक्रय पत्र/कोटेशन आदि मान्य नहीं होंगे।
- 11—: संस्था में आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवा एवं पीएण्डआई में संचालित होने वाले वाहनों में एयर कण्डीशन होना अनिवार्य है। तथा इन वाहनों को अति आवश्यक सेवा के अन्तर्गत कार्यदिवस में किसी भी समय अति आवश्यक चिकित्सा कार्य हेतु आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा, वाहन उपलब्ध न कराये जाने की दशा में स्थानीय बाजार से किराये पर वाहन लेना पड़ता है तो उसके समस्त खर्च निविदादाता के बिलों से कटौती कर ली जायेगी जो कि निविदादाता को मान्य होगा। तथा सभी चिकित्सा वाहन एवं पीएण्डआई वाहन अपने कार्यों के साथ-साथ अन्य सौंपे गये कार्यों के लिए बाध्य होंगे।
- 12—: उत्तराखण्ड राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनो को निविदा में भाग लेने पर निविदा के साथ उत्तराखण्ड राज्य में जमा टैक्स आदि के वैध प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
- 13—: संस्था में जमा अर्नेस्ट मनी की रसीद की मूल प्रति/छाया प्रति अथवा बैंक ड्राफ्ट जो इस संस्था के नाम से देय हो मूल रूप में संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 14—: बड़े वाहनो (2.5 टन से अधिक) हेतु मु० 10000 (दस हजार रू० मात्र) तथा छोटे वाहनो (2.5 टन से कम) हेतु मु० 5000 (पाँच हजार रू० मात्र) अर्नेस्ट मनी नगद/ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। रसीद की छाया प्रति या बैंक ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा। चैक मान्य नहीं होगा, पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा में मान्य नहीं होगी।
- 15—: यू०सी०डी०एफ० की वैबसाईड www.ucdfaachal.org से निविदा डाउनलोड किये जाने पर, निविदा फार्म शुल्क के रूप में रू० 1000.00 की रशीद/ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- 16-** एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदाये भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदाये स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- 17-** निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसके प्रतिनिधि को निविदा हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।
- 18-** निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन होगा।
- 19-** निर्धारित दुग्ध मार्गों एवं समितियों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा आवश्यकता होने पर उपाजन दुग्ध दुलान के साथ-साथ विपणन का दूध भी दुलान करने के लिये बाध्य होगा जिसके लिये कमेटी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त दुलान देय होगा। तथा आवश्यकता न होने पर बिना कारण बताये एक माह के नोटिस पर वाहन हटाया जा सकता है।
- 20-** डीजल का भुगतान साधारण डीजल की दर से संलग्न विवरण के अनुसार देय होगा।
- 21-** वाहनों के प्रकार के अनुसार संस्था द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम दिहाडी निर्धारित की गयी है अधिक दरें प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- 22-** मोबिल आयल औसत- वाहनो को संलग्न विवरण के अनुसार न्यूनतम दरों पर देय होगा।
- 23-** लोडर चार्ज- छोटे वाहन हेतु (2.5 टन से कम) 40.00 रु0 प्रति पाली तथा बड़े वाहन हेतु (2.5 से अधिक) 50.00 रु प्रति पाली देय होगा।
- 24-** जमानत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त छोटे वाहनो के लिये (2.5 टन से कम) रु0 10000.00 (दस हजार) एवं बड़े वाहनो के लिये (2.5 टन से अधिक) रु0 15000.00 (पन्द्रह हजार) जमानत धनराशि संस्था कोषागार में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नाम से हो जमा करना होगा।
- 25-** निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है, अनुबन्ध करने हेतु मु0 100.00 रु0 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।
- 26-** शासन द्वारा संचालित जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत साईलेज/पशुआहार चारा परिवहन अनुदान एवं भूसा ब्लॉक समितियों की माँग के अनुसार परिवहनकर्ता के द्वारा उपलब्ध करना होगा, जिसका परिवहन का दुलान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर संस्था द्वारा देय होगा, जिसका समायोजन शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि में किया जायेगा।
- 27-** अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष हेतु होगी। आवश्यकता पडने पर अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात 03-03 माँह हेतु दो बार (अधिकतम 06 माँह हेतु) उन्ही दरो एवं शर्तों पर अवधि बढ़ाये जाने पर निविदादाता को दुग्ध दुलान करने की बाध्यता होगी तथा बढ़ाई गयी अवधि में भी अनुबन्ध की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
- 28-** प्रत्येक मार्ग के लिये अलग-अलग निविदा प्रपत्र भरकर देना होगा। एक वाहन से केवल एक ही मार्ग की निविदा मान्य होगी। दो अथवा अधिक मार्गों के लिये एक ही वाहन की निविदा भरे जाने पर निविदादाता की समस्त मार्गों की निविदाये निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी।
- 29-** निविदा स्वीकृत होने पर निविदा में उल्लेखित वाहन की आर0सी0, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण एवं पैन कार्ड के मूल प्रपत्र कमेटी के सम्मुख निविदा स्वीकार होने की सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रस्तुत करने होंगे। कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात उक्त सभी प्रपत्रों के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 30-** निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन के निरीक्षण हेतु सूचना मिलने पर निर्धारित तिथि को वाहन सहित खटीमा कार्यालय/अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर/अवशीतन केन्द्र बाजपुर में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 31-** निविदा की दरों में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराइडिंग/प्लूट/सफेदा लगाना स्वीकार्य नहीं होगा। यदि ऐसा पाया जायेगा तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी। दरों के अतिरिक्त अन्य निविदा विवरण में त्रुटि होने पर एक लाइन से कटिंग करके अंकित किये जाने पर स्वहस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- 32-** निविदा स्वीकार होने के उपरान्त वाहन के रूट की दूरी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, जिसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी। तथा ऐसी स्थिति में परिवहनकर्ता के साथ-साथ संबन्धित फील्ड स्टॉफ द्वारा दूरी नापकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- 33-** परिवहनकर्ता द्वारा अपने स्टाफ (चालक/परिचालक) का ई0पी0एफ0 नियमानुसार ई0पी0एफ0 कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसका कोई भी उत्तरदायित्व संस्था का नहीं होगा।
- 34-** चालक/परिचालक की व्यवस्था परिवहनकर्ता को स्वयं करनी होगी। चालक का नाम, पता तथा डी0एल0 की छाया प्रति कार्यादेश प्राप्त करते समय संस्था को उपलब्ध करानी होगी। चालक के बदलने पर सूचना कार्यालय को देनी होगी। वाहन के समस्त रख रखाव की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
- 35-** सरकार द्वारा वाहनों पर लगाये जाने वाले समस्त कर आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

36- उपार्जन मार्गों पर लगने वाले कर जैसे पथकर, सेतुकर आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त चुटकी देवरिया (किच्छा) एवं पहेनिया (खटीमा) पर पड़ने वाला टॉल टैक्स दुग्ध दुलान (उपार्जन) वाले वाहनों को फॉस्ट टैग प्रणाली के अनुसार टैक्स नियमानुसार देय होगा। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में यदि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उक्त के अतिरिक्त कोई नया टॉल टैक्स दिया जाना प्रस्तावित होगा तो उस नियमानुसार विचार किया जायेगा।

37- पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक पशुचिकित्सा कार्य हेतु टैक्स पेड वाहनों की निविदा मान्य होगी, अनुमानित दूरी प्रतिदिन 100 किमी० के आधार पर गणना की जायेगी। सामान्य परिस्थितियों में वाहन का संचालन एक मॉह में न्यूनतम 20 दिन किया जायेगा परन्तु पशु चिकित्सकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में पशुचिकित्सक की व्यवस्था होने तक वाहन का संचालन नहीं किया जायेगा जिसकी सूचना परिवहनकर्ता को तत्काल कर दी जायेगी। वाहन स्वामी द्वारा कार्यदिवसों में वाहन उपलब्ध न कराये जाने से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से कर दी जायेगी, जिसमें हुए व्यय लागत की कटौती वाहन स्वामी के बिल से कर दी जायेगी।

38- निविदा स्वीकार होने पर दुग्ध संघ की नाममात्र की सदस्यता लेनी होगी।

39- निविदा फार्म के साथ मार्गवार दी गयी दूरी अनुमानित है, कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्था के प्रतिनिधि द्वारा परिवहनकर्ता के साथ मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा, उसी के अनुसार भुगतान देय होगा।

40- अनुबन्ध होने पर अनुबन्ध की अवधि प्रत्येक दशा में पूर्ण करनी होगी। अनुबन्ध अवधि में परिवहनकर्ता द्वारा वाहन हटाये जाने पर जमा जमानत राशि जब्त कर दी जायेगी। तथा चोरी में पहली बार पकड़े जाने पर कुल हानि की भरपाई के साथ-साथ दस हजार रुपये जुर्माना बसूल किया जायेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर कुल हानि की भरपाई के साथ-साथ बीस हजार रुपये जुर्माना बसूला जायेगा। तथा वाहन में समितियों के अतिरिक्त अन्य दूध रखने या उतारने पर चोरी मानी जायेगी। किसी भी चोरी की स्थिति में उपरोक्त के अतिरिक्त वाहन हटाते हुये जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

41- निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तों को भली भाँति पढकर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा फार्म में संलग्न करना अनिवार्य है।

42- बग्घा क्षेत्र चूकी बनग्राम क्षेत्र है इस कारण बरसात के मौसम में केवल बग्घा मार्ग के निविदादाता को किसी भी वाहन से दुग्ध दुलान की छूट उनके अनुरोध पर दी जा सकेगी।

43- जसपुर प्रथम मार्ग की दुग्ध समितियों का संचालन यूसीडीएफ द्वारा किया जा रहा है। जसपुर प्रथम मार्ग के लिए इच्छुक निविदादाता के वाहन का मॉडल 2018 से पुराना नहीं होना चाहिए।

44- वाहन में अच्छी गुणवत्ता का तिरपाल लगाना अनिवार्य होगा। वाहन में तिरपाल न लगे होने की स्थिति में वाहन के समय पर पहुंचने पर भी यदि दुग्ध समितियों का दूध खट्टा/फटने की स्थिति में जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा उसके दुग्ध दुलान बिलो से खट्टे/फटे हुए दूध की धनराशि बसूली संबंधित परिवहनकर्ता से कर ली जायेगी। दैवीय आपदा अथवा समकक्ष के कारण दूध खट्टा/फटा होने (विवाद की स्थिति) पर संस्था की प्रबन्ध कमेटी का निर्णय मान्य होगा।

45- निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर बैंक खाता न० उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, किसी भी निविदादाता को नगद भुगतान देय नहीं होगा।

46- अनुबन्धित दुग्ध वाहन पर जीआई सीट फ्लैक्सी जिसमें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्रचार-प्रसार हो को संस्था द्वारा लगाया जायेगा, जिसका वास्तविक भुगतान दो किस्तों में परिवहनकर्ता से काटा जायेगा, जो अनुबंधकर्ता को मान्य होगा।

47- यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2 (ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" को निम्नवत परिभाषित किया गया है-

नियम संख्या-2 (ग):-

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लडका, सौतेला लडका, अविवाहित लडकी या अविवाहित सौतेली लडकी चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति,

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गई हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लडका, सौतेला लडका अविवाहित सौतेली लडकी सम्मिलित नहीं होगा, या/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

48- निविदादाताओं को वाहन संचालन हेतु समस्त वैधानिक कार्यवाहियों स्वयं पूर्ण करनी होगी।

49- मार्गवार वाहनो हेतु वर्ष 2022-23 मे मार्गवार औसत दुग्ध उपार्जन (केन सहित) का विवरण तैयार करते हुए दुग्ध मात्रा निर्धारित की गयी है। कतिपय मार्गो मे पलस सीजन मे दुग्ध मात्रा बढती है तो अनुबन्धित वाहन को सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत भार क्षमता के अनुसार दुग्ध ढुलान करना अनिवार्य होगा, जिन मार्गो मे सम्भागीय परिवहन विभाग से स्वीकृत भार क्षमता से अधिक दुग्ध मात्रा बढती है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पृथक से छोटा वाहन लगाया जायेगा।

50- निविदा में टैक्निकल बिड की शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही फाइनेंसियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा दू-बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग-अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।

51- किसी भी प्रकार के विवाद में निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियों डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय मान्य होगा।

52- एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रधान प्रबन्धक उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (उधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित होगा।

53- यह कि सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019-शासनादेश सं०1542/VII-3-19/143-उद्योग 2/2003 दिनांक 20 अगस्त 2019 की शर्तो के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

नोट- उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 01 से 53 तक की शर्ते पढकर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

ह0 निविदादाता

पता

मो0न0